उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग–1
संख्याः–1107/14–1–2014–300(55)/93
लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

श्री वी0के0 सिन्हा, भा0व0से0 को भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय करने हेतु उनके जी0पी0एफ0 खाता संख्याः– आई0एफ0एस0यू0–1076 में जमा धनराशि रू0 8,77,796.00 के सापेक्ष कार्यालय ज्ञाप संख्याः–550/14–1–2014–300(55)/93, दिनांक 21 फरवरी, 2014 द्वारारू0 6,50,000/– का अन्तिम निष्कासन के रूप में अखिल भारतीय सेवायें(जी0पी0एफ0) नियमावली–1955 के नियम–12(सी)(।बी) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक–ई0शा–989/1–867, दिनांक 26.03.2014 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि श्री सिन्हा द्वारा अपने पत्रांक–321/3पी0सी0, दिनांक 25.02.2014 द्वारा उक्त स्वीकृति धनराशि रू0 6,50,000/–(छः लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के स्थान पर पुत्र की उच्च शिक्षा हेतु परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में उनके पुत्र की उच्च शिक्षा के प्रयोजन हेतु स्वीकृत उक्त धनराशि को अखिल भारतीय सेवायें(जी0पी0एफ0) नियमावली–1955 के नियम–10(।)(।।) के अन्तर्गत परिवर्तन कर संशोधित करने का आदेश जारी करने का अनुरोध प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा किया गया।

2– प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त अनुरोध के दृष्टिगत श्री वी0के0 सिन्हा को भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय करने हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा धनराशि रू0 8,77,796.00 के सापेक्ष शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.02.2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 6,50,000/– को उनके पुत्र के उच्च शिक्षा के प्रयोजन हेतु अखिल भारतीय सेवायें(जी0पी0एफ0) नियमावली–1955 के नियम–10(।)(।।) के निहित व्यवस्था के अन्तर्गत परिवर्तित करते हुए महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

(1) शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–550/14–1–2014–300(55)/93, दिनांक 21.02.2014 में स्वीकृत धनराशि का आहरण न हुआ हो।
(2) उपर्युक्त परिवर्तित मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
(3) यदि स्वीकृत धनराशि वर्णित मद में व्यय होने से अवशेष रह जाये तो उक्त अवशेष धनराशि आहरणकर्ता तत्काल अपने जी0पी0एफ0 खाते में जमा कर देगा।

पवन कुमार
सचिव

DK uo 3-1073

संख्याः– 1109 (1)/14–1–2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार–।।, पुरनिया चौराहा, केन्द्रीय भवन,अलीगंज, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन,लखनऊ।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्याः–ई0शा0–898/1–867, दिनांक 26.03.2014 के सन्दर्भ में।
5. श्री वी0के0 सिन्हा, भा0व0से0, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ ।
6. वित्त व्यय नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
उप सचिव

DK uo 3-1074